<u>राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर</u>

<u>निर्णय</u>

जमीला बानो एवं अन्य बनाम बाबू खां एवं अन्य

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-3764/2008
अन्तर्गत धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अपर सेशन न्यायाधीश(त्वरित) सं.1, ब्यावर, अजमेर के एम ए सी प्रकरण संख्या-27/2006 में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2008 के विरूद्ध.

निर्णय दिनांक : 30 **नवम्बर** ,2010

: **उपस्थित** :

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री एस एस कोठारी</u>

श्री डी के गर्ग, अधिवक्ता - अपीलार्थीगण की ओर से
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता -प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से
श्री जे पी गुप्ता, अधिवक्ता- प्रत्यर्थी सं.1 की ओर से

--

<u>न्यायालय द्वारा</u>

1. अपीलार्थी जमीला बानो एवं अन्य द्वारा यह सिविल विविध अपील मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अपर सेशन न्यायाधीश(त्वरित) सं.1, ब्यावर(अजमेर) (जिसे आगे केवल अधिकरण लिखा जावेगा) द्वारा एम ए सी प्रकरण संख्या-27/2006 में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षिप्त तथ्य एवं पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि

दिनांक 15.12.2005 को उस्मान नामक व्यक्ति विपक्षी संख्या-1 बाबू खां की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर जाते हुए मोटरसाइकिल के दीवार से टकराने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो दिनांक 16.12.2005 को मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके विधिक प्रतिनिधियों की ओर से अधिकरण में क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया गया जहां क्लेम का विचारण प्रारम्भ हुआ। अपीलार्थी-दावेदार की ओर से साक्ष्य में मृतक की पत्नी जमीला बानो को पेश किया गया तथा प्रदर्श-1 लगायत प्रदर्श-12 प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्शित करायी गयी। बीमा कम्पनी की ओर अपने साक्षी गजानंद को पेश कर प्रदर्श- ए-1 बीमा पॉलिसी प्रदर्शित करायी गयी। अधिकरण द्वारा यह निर्धारित किया गया कि विपक्षी संख्या-1 ने अपनी मोटरसाइकिल को लापरवाही एवं उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की, जिससे मोटरसाइकिल के पीछे बैठा उस्मान घायल हो मर गया। फलस्वरूप मृतक उस्मान की मृत्यु पर उसके विधिक प्रतिनिधियों को क्षतिपूर्तिस्वरूप 12,03,332/- रूपये की राशि एवं उस पर 7.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाने का आदेश दिया किन्तु इसके लिए उत्तरदायी केवल विपक्षी संख्या-1 वाहन चालक व स्वामी को ही माना और बीमा कम्पनी को इस आधार पर दायित्त्व से मुक्त किया कि मृतक मोटरसाइकिल पर पिलियन राइडर के रूप में बैठा हुआ था। बीमा कम्पनी के इस तर्क को स्वीकार किया गया कि पिलियन राइडर की क्षति को कवर करने के लिए कोई प्रीमियम अदा नहीं किया गया था और पॉलिसी अन्तर्गत केवल मात्र वाहन स्वामी एवं चालक का ही प्रीमियम लिया गया था, अत: बीमा कम्पनी प्रतिकर अदायगी हेतु उत्तरदायी नहीं है।

3. दावेदार अपीलार्थीगण की ओर से अधिकरण के उक्त निष्कर्ष एवं दिलायी गयी क्षतिपूर्ति की राशि को न्यून बताते हुए यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन रहा है कि

पिलियन राइडर की स्थिति के सम्बन्ध में विधिक स्थिति माननीय देहली उच्च न्यायालय के एम ए सी आवेदन संख्या-176/2009 **यशपाल लूथरा एवं अन्य बनाम यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड एवं अन्य** में दिनांक 09.12.2009 को पारित निर्णय से सुस्थापित हो गयी है, अत: अपील को श्रवणार्थ ग्रहण कर इस स्तर पर ही इसे निस्तारित कर दिया जाए। विद्वान् अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण को इसमें कोई आपत्ति नहीं है और उनकी स्वयं की भी यही प्रार्थना है, अत: दोनों पक्षों को सुनकर इसी स्तर पर अपील का निर्णय किया जा रहा है।

5. विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थीगण बहस के दौरान अपील में अपने द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि कम होने के तर्क पर जोर नहीं देते हैं और उनका कथन है कि केवल पिलियन राइडर की मृत्यु के सम्बन्ध में बीमा कम्पनी का दायित्त्व है या नहीं, केवल इस बिन्दु को विनिश्चित करते हुए अपील निर्णीत कर दी जाए। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण को सुना गया।

6. विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क केवल मात्र यही है कि माननीय देहली उच्च न्यायालय ने अपने ऊपर उल्लिखित विधि दृष्टान्त के द्वारा यह विधिक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट एवं सुस्थापित कर दी है कि एक पैकेज/व्यापक पॉलिसी के अन्तर्गत दुपहिया वाहन के पीछे बैठे व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कम्पनी दायित्त्वाधीन है। इस सम्बन्ध में उन्होंने न्यायालय का ध्यान प्रशुल्क सलाहकार समिति (टी ए सी) द्वारा सभी बीमा कम्पनी को दिये गये निर्देश दिनांक 02 जून,1986 की ओर दिलाया और इस सम्बन्ध में पुन: दिनांक 26 नवम्बर,2009 को बीमा नियन्त्रण एवं विकास अधिकारी (आई आर डी ए) द्वारा सभी बीमा कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी परिपत्र की ओर भी आकर्षित किया। उनका कथन है कि इनके अनुसरण में बीमा कम्पनियों ने जहां जहां पिलियन राइडर

के सम्बन्ध में अपने दायित्त्व से इन्कार करते हुए अपीलें प्रस्तुत की हुई थीं, उन सभी अपीलों को वापस ले लिया है और अब इस सम्बन्ध में कोई विवाद शेष नहीं रहा है कि पिलियन राइडर की दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनी का दायित्व रहेगा।

7. विद्वान् अधिवक्ता बीमा कम्पनी ने इस स्थिति को स्पष्टत: स्वीकार तो नहीं किया किन्तु उनका यह कथन अवश्य है कि इस मामले में बीमा कम्पनी द्वारा पैकेज / व्यापक पॉलिसी जारी की गयी थी और इस पॉलिसी की शर्तों तथा माननीय देहली उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय जिसके विपरीत दृष्टिकोण लेते हुए कोई विधि दृष्टान्त उपलब्ध नहीं है, के प्रकाश में न्यायालय द्वारा इस अपील को निर्णीत कर दिया जावे।

8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान् अभिभाषकगण के तर्कों पर विचार कर आक्षेपित निर्णय एवं प्रस्तुत विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

9. विद्वान् अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी द्वारा इस मामले में जारी बीमा पॉलिसी को व्यापक/पैकेज पॉलिसी बताते हुए इसकी शर्तों को प्रस्तुत किया गया, जिसका सुसंगत भाग निम्न प्रकार है:

> 1. Subject to the limits of liability as laid down in the Schedule hereto the Company will indemnify the insured in the event of an accident caused by or arising out of the use of the insured vehicle against all sums which the insured shall become legally liable to pay in respect of-
>
> (i) death or bodily injury to any person including occupants carried in the vehicle (provided such occupants are not carried for hire or reward) but except so far as it

is necessary to meet the requirements of Motor Vehicles Act, the Company shall not be liable where such death or injury arises out of and in the course of employment of such person by the insured."

10 इसके प्रकाश में विद्वान् अभिभाषक अपीलार्थीगण का यह तर्क है कि मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्ति की क्षति भी पॉलिसी के अन्तर्गत कवर होती है। पॉलिसी के अन्तर्गत तृतीय पक्ष की क्षति को कवर करने हेतु प्रीमियम लिया गया है। स्कूटर पर पीछे बैठा व्यक्ति बीमा संविदा में पक्षकार नहीं है और इस कारण वह तृतीय पक्षकार के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त माननीय देहली उच्च न्यायालय के विनिर्णय **एम ए सी आवेदन संख्या**-176/2009 **यशपाल लूथरा एवं अन्य बनाम यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. एवं अन्य** में दिनांक 09.12.2009 में पारित निर्णय का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि इसमें दिनांक 24 फरवरी,2006 को विनोद लूथरा अपने मित्र द्वारा चलायी जा रही मोटरसाइकिल संख्या डी एल -75 ए यू-2074 पर पिछले सवार के रूप में बैठकर आ रहा था तो लोधी रोड़ कॉम्प्लेक्स के समीप आहूजा पार्क पर इस मोटरसाइकिल को एक अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मार दी गयी, जिसके फलस्वरूप विनोद चोटग्रस्त होने के कारण विनोद की मृत्यु हो गयी। इसके माता-पिता और पत्नी ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति हेतु वाद प्रस्तुत किया जिसमें यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. को प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं मोटरसाइकिल के स्वामी को प्रत्यर्थी संख्या-2 बनाया। मोटरसाइकिल पैकेज बीमा पॉलिसी द्वारा बीमित थी। बीमा कम्पनी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि दुपहिया वाहन पर पिछले सवार की क्षति बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत कवर नहीं है। अधिकरण ने इस तर्क को स्वीकार कर बीमा कम्पनी को दायित्व से मुक्त किया। इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में माननीय देहली उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विनिश्चय हेतु उत्पन्न हुआ कि क्या

दुपहिया वाहन पर पिलियन राइडर के रूप में बैठे व्यक्ति की क्षति एक पैकेज/व्यापक पॉलिसी के द्वारा कवर होगा या नहीं।

11. माननीय देहली उच्च न्यायालय ने बीमा कम्पनियों की नियन्त्रक समिति प्रशुल्क सलाहकार समिति (TAC) द्वारा 02 जून,1986 को सभी बीमा कम्पनियों को जारी आदेशों का उल्लेख किया जिसमें यह स्पष्ट निर्देश थे कि व्यापक पॉलिसी के अधीन एक स्कूटर/मोटरसाईकिल के पिछले सवार को आच्छादित करें। इसके उपरान्त बीमा अधिनियम 1938 के अधीन बीमा कम्पनियों पर नियन्त्रणकर्ता बीमा नियन्त्रण और विकास अधिकारी (IRDA) ने दिनांक 26 नवम्बर,2009 को सभी बीमा कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया जिसमें यह स्पष्ट निर्देश थे कि दुपहिया वाहन के पिछले सवार के सम्बन्ध में व्यापक/पैकेज पॉलिसी के अधीन बीमा कम्पनी का दायित्त्व रहेगा। IRDA द्वारा इस सम्बन्ध में अपने पूर्व परिपत्र का भी उल्लेख करते हुए सभी बीमा कम्पनियों को अनुपालना हेतु लिखा गया। इसके उपरान्त से बीमा कम्पनियों द्वारा जारी व्यापक पॉलिसी जिसे अब पैकेज पॉलिसी कहा जाता है, के अधीन दुपहिया वाहन पर पीछे बैठी सवारी की क्षति के दायित्त्व को कवर करने की स्थिति अब तक निरन्तर बनी हुई है। माननीय देहली उच्च न्यायालय के समक्ष सभी बीमा कम्पनियों ने यह भी सहमति अभिव्यक्त की थी कि वह मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष इससे विपरीत लिये गये तर्कों को वापस ले लेंगे और एतदविषयक प्रकरण न्यायाधिकरण के समक्ष आगे से नहीं ले जायेंगे। ऐसी स्थिति में दावा अधिकरणों को इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि क्या बीमा कम्पनी दुपहिया वाहन पर पिछली सवारी की मृत्यु अथवा उपहति के लिए क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी है या नहीं। माननीय देहली उच्च न्यायालय के समक्ष हुई उक्त कार्यवाही एवं माननीय न्यायालय द्वारा व्यक्त उक्त स्थिति एवं प्रतिपादित विधि से बीमा कम्पनी के विद्वान् अधिवक्ता भी इन्कार नहीं करते हैं। इसके विरोध में वे कोई भी

तर्क प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं।

12. फलस्वरूप मैं इस मत का हूं कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील उक्त बिन्दु पर स्वीकार किये जाने योग्य है और इस प्रश्नगत दुर्घटना में मोटरसाइकिल संख्या आर जे-22 6 एम-2428 पर पीछे बैठकर जा रहे उस्मान नामक व्यक्ति की मृत्यु के कारण अधिकरण द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.05.2008 द्वारा दिलायी गयी क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी के लिए अप्रार्थी- प्रत्यर्थी संख्या-1 के साथ साथ अप्रार्थी-प्रत्यर्थी संख्या-2 यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी भी पूरी तरह उत्तरदायी है।

13. इस प्रकार ऊपर किये गये विवेचन के प्रकाश में अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ब्यावर के आक्षेपित निर्णय दिनांक 16.05.2008 में उस्मान की मृत्यु के कारण जो क्षतिपूर्ति राशि अपीलार्थीगण दावेदारों को दिलायी गयी है, उस राशि की अदायगी के लिए प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से दायित्वाधीन हैं। अपीलार्थीगण उक्तानुसार यह राशि प्रत्यर्थीगण से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। अवार्ड की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

14. उक्त बिन्दु के अतिरिक्त शेष बिन्दुओं पर अपीलार्थीगण की अपील उनके द्वारा जोर नहीं दिये जाने के कारण अस्वीकृत की जाती है।निर्णय की प्रति न्यायाधिकरण को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

15. पक्षकारान् इस अपील का खर्चा अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।

(**न्या० एस एस कोठारी**)

"all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed."

अनिलशर्मा/ps